

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले को कथिा रद्द

प्रलमिस के लयि:

[POCSO अधनियम- 2012](#), [संयुक्त राषट्र](#), [भारतीय दंड संहति](#), [अनुच्छेद 21](#), [बाल कल्याण समति](#), [DNA परीक्षण](#)

मेन्स के लयि:

POCSO अधनियम और कार्यानवयन के मुद्दे, बच्चों से संबंधति मुद्दे

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नाबालगि से बलात्कार के आरोपी 23 वर्षीय वयक्ती, जसिने पीड़ति से बाद में वविाह कर लयिा, के खलिाफ [लैंगकि अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियम, 2012](#) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दयिा है।

- इस नरिणय में एक चेतावनी शामिल है, जसिके तहत **यद वयक्ती भवषिय में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देता है तो आपराधकि कार्यवाही को पुनः शुरू कयिा जा सकता है**। इस शर्त का उद्देश्य माँ और बच्चे के कल्याण एवं सुरक्षा को सुनश्चिति करना है।

न्यायालय ने मामले को रद्द करने का औचित्य कैसे सदिध कयिा?

- **आरोपी के वकील:** तर्क दयिा कि आरोपी और पीड़ति एक-दूसरे से प्रेम करते थे तथा माता-पति द्वारा वविाह के लयि सहमति जताए जाने के बाद अपराध दर्ज कयिा गया था। इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों परिवार वविाह का समर्थन करने के लयि आगे आए थे।
- **राज्य के वकील:** तर्क दयिा कि अपराध की जघन्य प्रकृति के कारण मामले को रद्द नहीं कयिा जाना चाहयि, जसिके लयि दस वर्ष के कारावास की सज़ा हो सकती है। मामले को सुनवाई के लयि ले जाने के महत्त्व पर ज़ोर दयिा।
- **न्यायालय का नरिणय:**
 - पीड़ति और बच्चे की सुरक्षा: न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि मामले को सुलझाए बना याचकिाकर्त्ता को रहिा करने से माँ और बच्चे असुरक्षति हो जाएंगे, उन्हें सामाजकि बदनामी व संभावति खतरे का सामना करना पड़ेगा।
 - पीड़ति की संभावति शत्रुता: न्यायालय ने कहा कि पीड़ति के अपने बयान से पलट जाने की संभावना है, जसिसे याचकिाकर्त्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।
 - न्यायमूर्ति ने ज़मीनी हकीकत पर वधिार करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जसिमें कहा गया कि आपराधकि मुकदमे को लंबा खींचने से अनावश्यक पीड़ा होगी और कसी भी अंतरमि रहिाई की संभावना कम हो जाएगी।

लैंगकि अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधनियम, 2012 क्या है?

- **परचिय:** लैंगकि अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण हेतु बनाया गया था, जेनर 1989 में [संयुक्त राषट्र](#) द्वारा [बाल अधिकारों पर कन्वेंशन](#) को अपनाने के बावजूद भारत में एक महत्त्वपूर्ण वधिायी अंतर को कम करता है।
 - इस अधनियम के तहत गंभीर दंड का प्रावधान है, जसिमें **20 वर्ष तक की कैद** और गंभीर **यौन उत्पीड़न के लयि मृत्युदंड** तक शामिल है।
- **आवश्यकता:** POCSO अधनियम, 2012 से पूर्व, भारत का एकमात्र बाल संरक्षण कानून [गोवा बाल अधनियम, 2003](#) था। [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#) की धाराएँ 375, 354 और 377 अपर्याप्त थीं क्योंकि उनमें **बालकों के प्रतिहुए 'अप्राकृतकि अपराध' की स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान नहीं की गई थीं**।
 - बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक वशिष्ट कानून की आवश्यकता हुई, जसिके परिणामस्वरूप **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा POCSO अधनियम को लागू कयिा गया।
- **सामान्य सदिधांत:**

- **सम्मान पूर्वक व्यवहार किये जाने का अधिकार:** बच्चों के साथ करुणा और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के महत्त्व को दर्शाता है।
- **जीवन और अस्तित्व का अधिकार:** यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को अनुच्छेद 21 के अनुसार सुरक्षा मिले और सुरक्षित वातावरण में उनका पालन पोषण हो।
- **भेदभाव के विरुद्ध अधिकार:** लिंग, धर्म या संस्कृति के आधार पर भेदभाव किये बिना नृषिपक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाएँ।
- **नविरक उपायों का अधिकार:** बच्चों को दुर्व्यवहार को पहचानने और रोकने के लिये प्रशिक्षित करना।
- **सूचित किये जाने का अधिकार:** बच्चे को कानूनी कार्यवाही के बारे में सूचित रखना।
- **गोपनीयता का अधिकार:** बच्चे की गोपनीयता की रक्षा के लिये कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखना।
- **अपराधों की सुनवाई:** विशेष न्यायालय अभ्युक्त को सुनवाई के लिये भेजे बिना ही संज्ञान ले सकती है। बच्चे को अभ्युक्त के संपर्क में आने से रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये।
 - **साक्ष्य 30 दिनों के भीतर दर्ज किये जाने चाहिये** और संज्ञान लेने के एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिये।
 - चकितसा जाँच के महत्त्व पर जोर दिया गया है, लेकिन ध्यान दिया गया है कि शारीरिक चोटें हमेशा मौजूद नहीं हो सकती हैं।
 - धारा 42A यह सुनिश्चित करती है कि POC SO प्रावधान किसी भी परस्पर विरोधी कानून को दरकिनार कर दें।
- **POCSO अधिनियम की कमियाँ:**
 - **अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का अनुप्रयोग:** अंजन कुमार सरमा बनाम असम राज्य, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना यह सिद्धांत कमजोर है, जिससे गलत दोषसिद्धि का जोखिम है।
 - यह सिद्धांत बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध से पहले पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया है और कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, तो यह प्रबल अनुमान है कि वह अपराध के लिये ज़िम्मेदार है।
 - **सहमति से शारीरिक क्रियाकलाप:** यह अधिनियम नाबालग के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले गैर-नाबालग साथी पर मुकदमा चलाता है, क्योंकि नाबालगों की सहमति अप्रासंगिक मानी जाती है।
 - **बच्चों द्वारा झूठी शिकायतें:** धारा 22 बच्चों को झूठी शिकायतों के लिये सज़ा से छूट देती है, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है।
 - **टू-फरिग टेस्ट:** वर्ष 2012 में प्रतिबंधित होने के बावजूद, यह परीक्षण अभी भी किया जाता है, जो पीड़ित की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है, जैसा कि लिली @ राजेश बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में उल्लेख किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में पुष्टि की कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बच्चे लोगों पर आक्रामक 'टू-फरिग' या 'थ्री-फरिग' यौन परीक्षण करना कदाचार माना जाता है। इन परीक्षणों को प्रतिगामी माना जाता है और यह नरिधारित करने के लिये उपयोग किया जाता है कि क्या पीड़ित यौन संबंध के लिये "आदी" थी।
 - **अप्रस्तुत जाँच तंत्र:** बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होइंगोली एवं अन्य बनाम भवत एवं अन्य, 2017 के मामले में, दोषपूर्ण जाँच प्रक्रियाओं को उजागर करते हुए, बिना सील किये गए साक्ष्य के कारण अभ्युक्तों को बरी कर दिया।
- **अपराधों के लिये सज़ा:**
- POC SO अधिनियम, 2012 में शामिल अपराधों के लिये सज़ा
- उपर्युक्त अपराधों के लिये सज़ा तालिका में नरिदिष्ट है:

अपराध का नाम	POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान	सज़ा
16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला	धारा 4	न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास जसि आजीवन कारावास और जुरमाना तक बढ़ाया जा सकता है
16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला	धारा 4	न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास जसि शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुरमाने तक बढ़ाया जा सकता है
गंभीर प्रवेशन यौन हमला	धारा 6	न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जसि शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुरमाना या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है
यौन उत्पीड़न	धारा 8	3 से 5 वर्ष की कैद और जुरमाना
गंभीर यौन हमला	धारा 10	5 से 7 वर्ष की कैद और जुरमाना
यौन उत्पीड़न	धारा 12	कारावास जसि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुरमाना भी लगाया जा सकता है।
पोर्नोग्राफी के लिये बच्चे का उपयोग	धारा 14(1)	पहली दोषसिद्धि 5 वर्ष तक की कैद, दूसरी या आगे की सज़ा- 7 वर्ष तक की कैद और जुरमाना
धारा 3 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग।	धारा 14(2)	न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास। आजीवन कारावास और जुरमाना तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 5 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग	धारा 14(3)	आजीवन कठोर कारावास और जुरमाना
धारा 7 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना	धारा 14(4)	6 से 8 वर्ष की कैद और जुरमाना
धारा 9 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना।	धारा 14(5)	8 से 10 वर्ष की कैद और जुरमाना
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किसी बच्चे से	धारा 15	3 वर्ष तक का कारावास या जुरमाना या दोनों

POCSO अधिनियम, 2012 पर महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाएँ

- **बर्जिय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2017:** इस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिये नरिदेश जारी किये।
 - पुलिस को POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिये और पीड़ितों तथा उनके माता-पिता को कानूनी सहायता अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिये।
 - पोक्सो अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR) दर्ज होने के बाद बच्चे की तत्काल चिकित्सा जाँच कराई जाएगी।
 - **कशोर न्याय अधिनियम** के तहत 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' के रूप में पहचाने गए पीड़ितों को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee- CWC) को भेजा जाना चाहिये। पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये।
 - विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम सत्र पर मुआवज़ा प्रदान किया जा सकता है, जो कि दोषसिद्धि के बाद दोषी को दिये जाने वाले मुआवज़े से स्वतंत्र होगा, जिसका उद्देश्य पीड़ित बच्चे को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।
 - **वशिष्ठ कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2017:** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धारा 36 के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दशान-नरिदेशों में शामिल हैं:
 - यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही के दौरान बाल गवाहों को सहजता महसूस हो, संभवतः बंद कमरे में सत्र के माध्यम से तथा उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके।
 - **साक्ष्य नियमों में लचीलापन प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर सत्य को प्राथमिकता देता है।** बच्चों के बयानों को रिकॉर्ड करते समय आराम और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये ब्रेक की अनुमति होनी चाहिये।
 - **दनिश कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2016:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नमिनलखित थीं:
 - **यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिये चोटें आवश्यक नहीं हैं,** पीड़ित की गवाही महत्वपूर्ण है।
 - न्यायालयों को नाबालगों पर बाहरी प्रभावों के कारण झूठे आरोपों की संभावना पर विचार करना चाहिये।
 - **सुंदरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2017:** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालग की गरभावस्था को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य नरिदेश:
 - **नाबालग के लिये माता-पिता की सहमति ही पर्याप्त है,** नाबालग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। गर्भपात का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।
 - चिकित्सकों की एक समिति को गर्भपात अनुरोध का मूल्यांकन करना चाहिये। गर्भपात के बाद, भ्रूण के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) परीक्षण को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिये।

ट्रस्ट भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. नाबालगों को यौन शोषण से बचाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और उनका महत्व क्या है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थितिपर प्रकाश डालिये। (वर्ष 2016)